2

मु.नं.–60/2020 GCMS ID-2020/00113 ता.रजु–26.10.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सुग्रीव मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना ग्राम व पोस्ट–मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–23.11.2020

1. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 09.11.2020, 11.11.2020, 18.11.2020, 23.11.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर पंचायत आम चुनाव 2020 के तहत दिनांक 17.01.2020 को ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में हुए सरपंच पद के चुनाव की वीडियोग्राफी की सी.डी. चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को डाक द्वारा भिजवाये जाने पर सी.डी. क्षतिग्रस्त प्राप्त होने पर दूसरी सी.डी. प्राप्त करने हेतु लिखा गया था जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ./2020/636 दिनांक 09.11.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को उनके पत्रांक–सू.अ.अ./2020/445 दिनांक 04.09.2020 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को पंचायत आम चुनाव 2020 के तहत ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में हुए सरपंच चुनाव की वीडियोग्राफी की सी.डी. प्रेषित कर दी गई थी जो अपीलार्थी को क्षतिग्रस्त प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी को पुनः सी.डी. प्राप्त करने हेतु व्यक्तिशः उनके कार्यालय में उपस्थित होकर सी.डी. प्राप्त करने हेतु लिखा जा चुका है किन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है। अंत में अपील, अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने, पुनः सी.डी. हेतु कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर सी.डी. प्राप्त करने की सूचना दिये जाने एवं सुनवाई हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने के कारण ऐसा विदित होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी के उक्त विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली